

न्यायालय-ए०के०गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, (मध्यप्रदेश)

आपराधिक प्रक०क्र० 1055/12

संस्थित दिनांक-28.12.12

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र-गोहद

जिला-भिण्ड (म०प्र०)

.....अभियोगी

विरुद्ध

1. परमाल पुत्र रामसिंह गुर्जर उम्र 42 साल
2. दिलीप पुत्र रामसिंह गुर्जर उम्र 35 साल
3. बंटी उर्फ हरीसिंह पुत्र दीवानसिंह गुर्जर उम्र 29 साल
4. पिन्टासिंह पुत्र ज्ञानसिंह गुर्जर उम्र 27 साल

निवासी ग्राम खरौआ थाना गोहद जिला भिण्ड म०प्र०अभियुक्तगण

—:: निर्णय ::—

{आज दिनांक 26.04.18 को घोषित}

अभियुक्तगण पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 294, 323/34 एवं 506 भाग 2 के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उन्होंने दिनांक 17.11.12 को 6:30 बजे ग्राम खरौआ आम रोड पर फरियादी को मां बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर क्षोभकारित किया, सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी भंवर व आहत सुमेर की लाठी डण्डों से मारपीट कर साधारण उपहति कारित की तथा फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर मृत्यु का भय उत्पन्न कर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि फरियादी भंवरसिंह की खेत में सरसो की फसल खड़ी थी। दिनांक 16.11.12 को उसके खेत में अभियुक्तगण ने नहर का पानी छोड़ दिया जिससे फसल को नुकसान हुआ। दिनांक 17.11.12 को उसने अभियुक्तगण को उलाहना दिया तो वे मां बहन की गालियां देने लगे और बोले कि ऐसे ही छोड़ेंगे। जब फरियादी ने मना किया तो दिलीप ने कुल्हाड़ी मारी जो उसके माथे में लगी। बचाने सुमेरसिंह आया तो उसे शेष अभियुक्तगण ने लाठी कुल्हाड़ी से मारा जिससे खून बहने लगा। अभियुक्तगण ने उन दोनों की मारपीट की जिससे चोटें आईं। दामोदर व राजवीर आ गए, जिन्होंने बचाया। उक्त आशय की रिपोर्ट से अप०क्र० 263/12 पंजीबद्ध किया गया। दौरान अनुसंधान नक्शामौका बनाया, आहत का चिकित्सीय परीक्षण कराया, कथन लेखबद्ध किए गए। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। बाद अनुसंधान अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अभियुक्तगण को पद क्र० 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। अभियुक्तगण के द्वारा दफ़्तर की धारा 313 के अधीन परीक्षण में उनके निर्दोष होने तथा झूठा फंसाया जाने का कथन किया गया।

4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं —

1. क्या अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 17.11.12 को 6:30 बजे ग्राम खरौआ आम रोड पर फरियादी को मां बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर क्षोभकारित किया ?

2—क्या उक्त दिनांक, समय पर फरियादी भंवरसिंह व आहत सुमेर के शरीर पर कोई चोट मौजूद थी, यदि हाँ तो उनकी प्रकृति क्या थी ?

3—क्या उक्त दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्तगण ने सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी भंवर व आहत सुमेर की लाठी डण्डों से मारपीट कर साधारण उपहति कारित की ?

4—क्या उक्त दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्तगण ने फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर मृत्यु का भय उत्पन्न कर आपराधिक अभिवास कारित किया ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

5. अभियोजन की ओर से प्रकरण में अभियोजन की ओर से प्रकरण में डा० आलोक शर्मा अ०सा० 1, भंवरसिंह अ०सा० 2, सुमेरसिंह अ०सा० 3, राजवीर अ०सा० 4, रमेशसिंह अ०सा० 5, गिरीश कुमार अ०सा० 6 को परीक्षित कराया गया। जबकि अभियुक्तगण की ओर से बचाव में कोई साक्ष्य पेश नहीं की है।

—:: विचारणीय प्रश्न क्र० 1 का निष्कर्ष ::—

6. फरियादी भंवरसिंह अ०सा० 2 अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन करता है कि घटना 5 साल पहले सर्दी के समय सुबह सात बजे की है। उनके घर के पास आरोपीगण आए जिनसे उसने कहा कि तुमने हमारे खेत में एक दिन पहले पानी क्यों भर दिया, उससे सरसों की फसल खराब हो गयी तो चारों आरोपीगण गाली गलौंच करने लगे, इसके पश्चात् मारपीट किए जाने का कथन करता है। सुमेरसिंह अ०सा० 3 यह बताता है कि एक दिन पहले उसके चाचा के लड़के भंवरसिंह के खेत में अभियुक्तगण ने पानी भर दिया था, जब भंवरसिंह ने आरोपीगण से कहा कि पानी क्यों भर दिया तो वे लोग मुंहवाद करने लगे। साक्षी अपने अभिसाक्ष्य में किसी अभियुक्त द्वारा कोई गाली गलौंच करने का कोई कथन नहीं करता। प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 4 में बताता है कि जब दोनों तरफ की कहासुनी हो रही थी तो वह अपने घर पर था। राजवीर अ०सा० 4 अपने मुख्य परीक्षण में कथन करते हैं कि भंवरसिंह ने जब अभियुक्तगण को उलाहना दिया तो वे मादरचोद बहनचोद की गंदी गंदी गालियां देने लगे। यह साक्षी प्रतिपरीक्षण में कथन करता है कि जिस समय आरोपीगण का फरियादी से मुहवाद हो रहा था उस समय वह मौके पर नहीं था, बल्कि अपने घर पर था। साक्षी भंवरसिंह अ०सा० 2 अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 4 में बताते हैं कि वे घटना के समय सुबह 6-7 बजे घर

के बाहर आ रहे थे और गेट पर आ गए थे। साक्षी यह भी बताते हैं कि उस समय वह अकेले थे। इस प्रकार से साक्षी राजवीर के द्वारा कथित गालियां सुनने के संबंध में स्वयं अभियोजन साक्ष्य से पुष्टि नहीं हो रही है।

7. भंवरसिंह अ०सा० 2 अपने मुख्य परीक्षण में यह बताते हैं कि अभियुक्तगण ने उससे गाली गलौंच की। साक्षी कण्डिका 4 में कथन करते हैं कि गाली सभी आरोपीगण ने दी थी, यह भी बताते हैं कि उन्होंने रिपोर्ट प्र०पी० 3 में सभी आरोपीगण द्वारा गाली देने की बात लिखायी होगी। साक्षी प्र०पी० 3 में बी से बी भाग पर परमाल व दिलीप द्वारा "मादरचोद बहनचोद" की गाली दिए जाने की बात लिखे होने के संबंध में कारण बताने में अस्मर्थ हैं। प्रकरण में पुलिस कथन प्र०डी० 1 में भी परमाल और दिलीप द्वारा गाली दिए जाने की बात साक्षी स्वयं लिखाए जाने से इंकार करते हैं। सर्वप्रथम तो फरियादी के कथन स्वयं अभियोजन दस्तावेज प्राथमिकी प्र०पी० 3 एवं पुलिस कथन प्र०डी० 1 से भिन्नता है। साथ ही फरियादी द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया कि किस अभियुक्त ने कौनसे अश्लील शब्द का उच्चारण किया था तथा कथित अश्लील शब्द सुनकर उसे बुरा लगा हो, अथवा क्षोभकारित हुआ हो, इस संबंध में भी अभियोजन की साक्ष्य में कोई भी तथ्य अभिलेख पर नहीं हैं। ऐसे में संहिता की धारा 294 का अपराध प्रमाणित नहीं पाया जाता है।

--: विचारणीय प्रश्न कं० 4 का निष्कर्ष ::--

8. फरियादी भंवरसिंह अ०सा० 2, सुमेरसिंह अ०सा० 3 तथा राजवीर अ०सा० 4 अपने अभिसाक्ष्य में ऐसा कोई भी कथन नहीं करते कि अभियुक्तगण ने फरियादी को अथवा उन्हें संत्रास कारित करने के आशय से मृत्यु अथवा घोर उपहति अथवा अग्नि द्वारा रिष्टि कारित किए जाने के संबंध में कोई धमकी दी हो। संहिता की धारा 506 बी के अपराध को प्रमाणित किए जाने के लिए अभिलेख पर सारवान साक्ष्य होना आवश्यक है कि अभियुक्त द्वारा फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से मृत्यु कारित करने की धमकी दी हो तथा अभिकथित धमकी से फरियादी को भय अथवा संत्रास कारित हुआ हो। इस प्रकार से प्रकरण में संहिता की धारा 506 बी के अपराध को प्रमाणित करने के लिए सारवान साक्ष्य होना नहीं पाई जाती है। अतः संहिता की धारा 506 बी का आरोप प्रमाणित होना नहीं पाया जाता है।

--: विचारणीय प्रश्न कं० 2 का निष्कर्ष ::--

9. फरियादी भंवरसिंह अ०सा० 2 अपने अभिसाक्ष्य में कथन करता है कि जब अभियुक्तगण ने उसे गाली दी तो उसने गाली देने से रोका तो उसने लाठियां मारी। साक्षी उसके सिर में लाठी लगने से चोट आने का कथन करते हैं। सुमेरसिंह द्वारा बचाव करने पर पिंटा द्वारा कुल्हाड़ी मारने, उसे चोट आना बताते हैं। पुलिस द्वारा रिपोर्ट प्र०पी० 3 के उपरांत गोहद अस्पताल में इलाज कराए जाने का कथन करते हैं। सुमेरसिंह अ०सा० 3 अपने अभिसाक्ष्य में कथन करते हैं कि भंवरसिंह को दिलीप

ने लाठी मारी जो सिर में लगी और उसे पिंटा ने कुल्हाड़ी मारी जो सिर में लगी और वह जमीन पर गिर गया। यह साक्षी भी पुलिस द्वारा गोहद अस्पताल में इलाज कराए जाने का कथन करते हैं। राजवीर अ०सा० 4 कथन करते हैं कि दिलीप ने भंवरसिंह को कुल्हाड़ी मारी जो सिर में लगी और सुमेर ने बचाया तो उसे लाठी मारी जो सिर में लगी।

10. रमेशसिंह अ०सा० 5 अपने अभिसाक्ष्य में यह बताते हैं कि दिनांक 17.11.12 को वे थाना गोहद में प्र०आर० के पद पर पदस्थ थे। उक्त दिनांक को फरियादी की रिपोर्ट पर से उन्होंने प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की जिसके बी से बी भाग पर हस्ताक्षर होने का कथन करते हैं। फरियादी के द्वारा घटना के पश्चात् प्र०पी० 3 की रिपोर्ट किए जाने का कथन किया गया है जिसकी पुष्टि रमेश अ०सा० 5 ने अपने अभिसाक्ष्य में की है। डा० आलोक शर्मा अ०सा० 1 अपने अभिसाक्ष्य में बताते हैं कि घटना दिनांक 17.11.12 को उन्होंने आहत सुमेरसिंह एवं भंवरसिंह का चिकित्सीय परीक्षण किया था जिसमें सुमेरसिंह को सिर में दाए तरफ 2.5 गुणा 0.2 गुणा 0.2 सेमी० का फटा घाव, दाहिनी हाथ की तर्जनी उंगली में नील निशान तथा पीठ में 5 गुणा 1.5 सेमी० नील निशान था। आहत भंवरसिंह को परीक्षण में माथे पर 1.3 गुणा 0.2 सेमी० छिले का घाव एवं बांयी अग्रभुजा पर 3 गुणा 0.5 सेमी० का नील निशान होना पाया था। आहतगण को पाई चोटों के संबंध में अपने चिकित्सीय अभिमत में चोटें साधारण प्रकृति की सख्त व भौथरी वस्तु से आना प्रतीत होने की राय देते हैं तथा चिकित्सीय परीक्षणकी अवधि से 6 घण्टे के भीतर की होने का अभिमत देते हैं।

11. डा० आलोक शर्मा अ०सा० 1 आहत सुमेरसिंह की चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्र०पी० 1 तथा आहत भंवरसिंह की चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्र०पी० 2 बताकर उन पर ए से ए भाग पर हस्ताक्षर होना प्रमाणित करते हैं। चिकित्सक द्वारा आहतगण के चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट को प्र०पी० 1 व 2 के अनुसार क्रमशः 8:30 व 8:40 बजे प्रातः निष्पादित किए जाने का उल्लेख किया है। उक्त रिपोर्ट भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 35 के अधीन सुसंगत होकर उक्त अधिनियम की धारा 114 ड के अधीन चिकित्सक द्वारा पदीय कर्तव्य के निर्वहन में निष्पादित किए जाने के कारण अविश्वास का कोई युक्तियुक्त आधार न हाने से भलीभांति फरियादी भंवरसिंह एवं आहत सुमेरसिंह को घटना दिनांक को सुसंगत घटना के समय चोटें मौजूद होने की संपुष्टि करती हैं। अभियुक्तगण की ओर से भी आहतगण को शरीर पर चोटें होने के तथ्य को नासाबित नहीं किया जा सका है। स्वयं प्रतिपरीक्षण में आहतगण को पत्थरों पर गिरने से व सड़क पर गिरने से चोटें आने का सुझाव दिया है। ऐसे में यह तथ्य प्रमाणित हो जाता है कि आहतगण को सुसंगत घटना दिनांक व समय पर साधारण प्रकृति की चोटें मौजूद थीं।

12. अभियुक्त की ओर से न्यायदृष्टांत रामनारायण विरुद्ध म०प्र० राज्य 1979-1 एमपी डब्ल्यू एन नोट 129 के संबंध में आस्था व्यक्त की है कि उक्त मामले में आहत को धारदार वस्तु से चोट आना

बताई गयी थी, जबकि उसे धारा 323 के अधीन दोषसिद्ध किया गया जिसे मान० न्यायालय ने उचित नहीं पाया। प्रस्तुत मामले में अभियुक्तगण पर संहिता की धारा 323 का आरोप है। जहां तक कुल्हाड़ी से चोट पहुंचाने पर धारदार हथियार के समान चोटें कारित होने के तथ्य न पाए जाने से मामले के संदिग्ध होने के तर्क का प्रश्न है तो चिकित्सक को ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया कि आहतगण को कारित चोटें कुल्हाड़ी से कारित नहीं हो सकती है। इसके अतिरिक्त आहतगण को अन्यथा चोटें कारित होने के संबंध में कोई आधार नहीं है। जो सुझाव दिए गए हैं वे आहतगण को रात में खण्डों पर गिरने से चोट आने के संबंध में दिए गए हैं, जिनसे आहतगण ने इंकार किया है, जबकि चिकित्सक को सड़क पर आहतगण के फिसलकर गिरने से चोट आने का सुझाव दिया है। इस प्रकार से स्वयं अभियुक्त का बचाव विरोधाभासी है। ऐसे में आस्थागत न्यायदृष्टांत के तथ्य व परिस्थियां भिन्नता के कारण लागू न होने से अभियुक्तगण को कोई लाभ प्रदान नहीं करती। अब इस तथ्य का विवेचन किया जाना है कि क्या अभियुक्तगण ने सामान्य आशय के अग्रशरण में संयुक्ततः अथवा प्रथक्कतः आहतगण को उपहति कारित की ?

--:: विचारणीय प्रश्न कं० 3 का निष्कर्ष ::--

13. फरियादी भंवरसिंह अ०सा० 2 अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन करते हैं कि घटना के एक दिन पहले उनके खेत में पानी खोलकर भर दिया था जिससे सरसों की फसल खराब हो गयी थी। जब उसने घटना दिनांक को करीब 7 बजे अभियुक्तगण से कहा तो वे गालियां देने लगे और मना करने पर सिर में आरोपीगण में से किसी ने लाठी मारी जिससे उन्हें चोट आई। सुमेरसिंह को पिण्टा द्वारा कुल्हाड़ी मारी जिससे उन्हें चोट आई और वे बेहोश हो गए। सुमेरसिंह यही कथन करता है कि उसे सिर में पिण्टा ने कुल्हाड़ी मारी, जब वह भंवरसिंह का बीच बचाव कर रहा था। भंवरसिंह को दिलीपसिंह द्वारा लाठी मारने का कथन करते हैं। राजवीर अ०सा० 4 यह बताते हैं कि भंवरसिंह को दिलीप ने कुल्हाड़ी मारी जो सिर में लगी और सुमेरसिंह ने बचाया तो उसे लाठी मारी। प्रकरण में अभियुक्तगण की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि फरियादी उसे लाठी से किसी आरोपी द्वारा चोट पहुंचाने का कथन करता है, जबकि रिपोर्ट में कुल्हाड़ी से चोट पहुंचाने की बात लिखाई है, जो कि विरोधाभासी है। इस संबंध में यह ध्यान देने योग्य है कि घटना साक्ष्य से करीब 5 वर्ष पूर्व की है। ऐसे में साक्षियों से उनकी फोटोजनिक याददाश्त की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। आहतगण को कारित चोटों के संबंध में चिकित्सीय साक्ष्य से तथ्य प्रमाणित हैं। ऐसे में जहां कई व्यक्ति एक साथ हमला करते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति द्वारा क्या काम किया गया, इस संबंध में 5 वर्ष पश्चात् एक-एक तथ्य का वर्णन किए जाने की अपेक्षा नहीं की जा सकती है।

14. प्रकरण में फरियादी एवं आहत सुमेरसिंह अ०सा० 2 दोनों ही अभियुक्तगण के द्वारा घटना के एक दिन पहले खेत में पानी भरने की बात से उत्पन्न हुए विवाद के कारण मारपीट किए जाने के

संबंध में अभियुक्तगण के स्वेच्छिक कृत्य का कथन कर रहे हैं। अभियुक्तगण की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि गांव की रंजिश के कारण साक्षीगण असत्य कथन कर रहे हैं और उन्हें फंसाया जा रहा है। भंवरसिंह अ०सा० 2 किसी रंजिश के तथ्य से इंकार करता है। सुमेरसिंह अ०सा० 3 प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 4 में फसल नष्ट हो जाने के संबंध में रंजिश लगने होने के तथ्य को स्वीकार करता है और राजवीर अ०सा० 3 खेतों पर से उनके मध्य रंजिश के तथ्य को स्वीकार करता है। किन्तु रंजिश के तथ्य के कारण मात्र से आहतगण की चोटों के संबंध में कोई स्पष्ट कारण अभियुक्तगण के पक्ष में नहीं हैं। दोनों आहतगण को एक ही समय पर कथित खण्डों पर गिरने से चोट आने के संबंध में अभियुक्तगण का सुझाव सुदृढ़ तथ्यों पर आधारित नहीं है, जबकि आहतगण के द्वारा घटना के तुरंत पश्चात् रिपोर्ट एवं चिकित्सीय परीक्षण किया जाना उनके कथनों पर विश्वास का सुदृढ़ आधार उत्पन्न करता है। जहां कथित रंजिश का तथ्य प्रमाणित नहीं है ऐसे में फरियादी के कथन पर विश्वास किए जाने योग्य है। आहत साक्षी की अभिसाक्ष्य दाण्डिक विधि में अधिक महत्व रखती है। न्यायालय का ध्यान न्यायदृष्टांत **Abdul Sayeed v. State of Madhya Pradesh, (2010) 10 SCC 259** की ओर आकर्षित होता है जिसमें मान० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आहत साक्षी की साक्ष्य के मूल्यांकन के संबंध में अभिनिर्धारित किया कि –

Injured witness - Testimony of - Reliability - Presence of injured witness on spot, not doubtful - Graphic description of entire incident given by him - Must be given due weightage - His deposition corroborated by evidence of other eye witnesses - Cannot be brushed aside merely because of some trivial contradictions and omission therein.

इसके अतिरिक्त मान० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आहत साक्षी की साक्ष्य के मूल्यांकन के संबंध में न्यायदृष्टांत **Bhajan Singh alias Harbhajan Singh and Ors v. State of Haryana AIR 2011 SC 2552 : (2011)7 SCC 421** भी उल्लेखनीय हैं जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पैरा 21 में आहत साक्षी के संबंध में महत्वपूर्ण संप्रेक्षण करते हुए उसके कथन को अधिक भार दिए जाने और अभियुक्त को फंसाकर सच्चे अपराध कर्ता को बचाने के संबंध में कोई आधार न होना अभिव्यक्त किया।

15. प्रकरण में आहतगण के कथनों में विरोधाभास का तर्क प्रस्तुत किया है, किन्तु अभिकथित विरोधाभास सूक्ष्म प्रकृति के हैं, उनसे अभियोजन का मामला तथा आहतगण को कारित चोटों के संबंध में अविश्वास किए जाने का आधार दर्शित नहीं होता है। इस प्रकार से अभियुक्तगण द्वारा आहतगण को स्वेच्छा उपहति कारित किए जाने का तथ्य प्रमाणित हो जाता है। अतः अभियुक्तगण को आहत भंवरसिंह एवं सुमेरसिंह को दिनांक 17.11.12 को सुबह करीब 6:30 बजे उपहति कारित करने के

सामान्य आशय के अग्रशरण में संहिता की धारा 323 सहपठित धारा 34 दो काउण्ट के अधीन दोषसिद्ध किया जाता है। अभियुक्तगण के विरुद्ध संहिता की धारा 294, 506 बी के आरोप प्रमाणित न पाए जाने से उक्त आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

16. अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भारहीन किए गए। उन्हें अभिरक्षा में लिया गया।

17. अभियुक्तगण के स्वेच्छिक अपराध को देखते हुए एवं उसकी परिपक्व आयु को देखते हुए उन्हें परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिये जाने का कोई आधार नहीं पाया जाता है। दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्तगण व उनके विद्वान अभिभाषक को सुने जाने हेतु निर्णय लेखन कुछ समय के लिए स्थगित किया जाता है।

(A.K.Gupta)

Judicial Magistrate First Class
Gohad distt.Bhind (M.P.)

पुनश्च:

18. अभियुक्तगण एवं उनके विद्वान अभिभाषक को सुना गया। उन्होंने अभियुक्तगण की प्रथम दोषसिद्धि का कथन करते हुए अभियुक्तगण के ग्रामीण परिवेश के कृषक होकर एक ही परिवार के हैं। अतः इस आधार पर कम से कम दण्ड से दण्डित किए जाने का निवेदन किया है। अभियोजन को भी सुना गया।

19. अभियुक्तगण की पूर्व दोषसिद्धि के संबंध में कोई तथ्य अभिलेख पर नहीं हैं। अभियुक्तगण ग्रामीण परिवेश का अवश्य हैं। उभयपक्ष एक ही गांव के निवासी है। खेत में पानी भरने को लेकर विवाद होकर अत्यंत गंभीर प्रकृति का नहीं हैं, न ही सुनियोजित प्रकृति का है। साथ ही आहतगण को पाई गयी चोटें गंभीर प्रकृति की नहीं हैं। ऐसे में उन्हें कठोरतम दण्ड से दण्डित करने की दशा में उनके मध्य भविष्य में संबंधों की मधुरता की संभावना समाप्त हो जावेगी। अतः अभियुक्तगण को संहिता की धारा 323/34 दो काउण्ट के अधीन न्यायालय उठने तक की अवधि की सजा एवं 600-600 रुपये अर्धदण्ड (प्रत्येक अभियुक्त पर प्रत्येक काउण्ट के लिए) कुल 1200-1200 रुपये से दण्डित किया जाता है। अर्धदण्ड के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में अभियुक्तगण को एक-एक माह का कारावास भुगताया जावे।

20. अभियुक्तगण से अर्धदण्ड के रूप में बसूली गयी राशि में से फरियादी/आहत भंवरसिंह पुत्र गंधर्वसिंह गुर्जर एवं सुमेरसिंह पुत्र बदनसिंह गुर्जर निवासीगण ग्राम खरौआ थाना गोहद को हुई क्षति या हानि के प्रतिकर के रूप में दफ़्त की धारा 357-1 ख के अधीन 500-500 रुपये (पांच-पांच सौ रुपये) आवेदन करने पर विधि अनुसार प्रदान किये जावें।

21. प्रकरण में कोई संपत्ति जब्त नहीं।

22. निर्णय की एक-एक प्रति अविलंब अभियुक्तगण को प्रदान की जावे।

23. अभियुक्तगण की निरोधावधि कुछ नहीं।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर,
हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित
कर घोषित किया गया ।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

ए०के० गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

ए०के० गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु सामान्य)

सामान्य जानकारी हेतु
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु)